

ऑन-लाईन संस्था (NGO) का संशोधन कराने के लिए अपलोड किये जाने वाले कागजातों की विवरणी

01. प्रथम आम सभा की कार्यवाही की मुद्रित प्रति एवं कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति।
02. द्वितीय आम सभा की कार्यवाही की मुद्रित प्रति एवं कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति।
03. दोनो आम सभा की बैठक हेतु सूचना की मुद्रित प्रति एवं पंजी की छायाप्रति।
नोट:- (दोनों आम सभा के बैठक के बीच एक माह का अन्तराल होना आवश्यक है।)
04. संस्था के स्मृति-पत्र एवं नियमावली की तुलनात्मक प्रति।
05. संस्था के स्मृति-पत्र एवं नियमावली की संशोधित प्रति।
06. तीन साल का ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट एवं फार्म एच।
07. कार्यालय प्रमाण-पत्र के रूप में अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/वार्ड पार्षद/ग्राम पंचायत के मुखिया/नगर पंचायत/नगर निगम के पदाधिकारी एवं वार्ड सदस्य द्वारा निर्गत कार्यालय प्रमाण-पत्र।
08. अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र।
नोट:- (राजपत्रित पदाधिकारी/नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित)
09. संस्था के कार्यालय भवन का लोकलिटी सहित फोटो स्थायी बोर्ड के साथ।
(जैसे बोर्ड टिन का बना होना चाहिए)

नोट:-अपलोड किये गये कागजातों के सभी पृष्ठों पर प्राधिकृत सचिव का हस्ताक्षर होना आवश्यक है।